न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :– श्री रोहित चौहान आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 02/2004

अपीलकर्ता		उतरदातागण
1 भगवानसिंह 2 भीखसिंह पिसरान खंगारसिंह जाति राजपूत निवासी चवा बाडमेर जिला बाडमेर।	बनाम	1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाडमेर 2 सरपंच ग्राम पंचायत सरणू चिमनजी बाडमेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 RLR Act.

उपस्थिति :– 1 श्री मुकेश जैन, वकील अपीलकर्ता।

2. श्री जगदीश चौधरी, वकील उतरदाता संख्या 02।

आदेश

दिनांक 22/08/21.

अपीलान्टगण की तरफ से प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मूढणों की ढाणी तहसील बाडमेर के खेत खसरा संख्या .11 रकबा 109.00 बीघा भूमि की खतोदारी राजस्व रेकर्ड के अनुसार श्री रघुवीरसिंह कौम राजपूत सा. हाल दूदूका गाजियाबाद (गुज़रात) के नाम से दर्ज थी। खातेदार श्री कनकसिंह के आम मुख्त्यार श्री स्वरूपसिंह व श्री रूगनाथसिंह ने उक्त विवादित भूमि का दिनांक 07.11.1986 को जरिये पंजीबद्ध बेचान पत्र के माध्यम से अपीलकर्तागण ने क्रय की तथा रजिस्टर्ड बेचान नामे के आधार पर सम्बन्धित पटवारी ने नामान्तकरण 183 खोलकर स्वीकृति हेतु सरपंच ग्राम पंचायत सरणू भीमजी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे ग्राम पंचायत ने अस्वीकृत कर दिया। इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलकर्तागण ने इस न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, जो दोनो पक्षों की सुनवाई के पश्चात निर्णय दिनांक 28.09.1988 द्वारा स्वीकृत कर प्रकरण तहसीलदार बाडमेर को रिमाण्ड कर दिया। उक्त निर्णय की पालना पटवारी ने पुनः नामान्तकरण संख्या 17 खोलकर तहसीलदार बाडमेर के समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार बाडमेर ने बाद जांच अपने आदेश दिनांक 27.04.1994 के द्वारा उक्त नामान्तकरण खारिज कर दिया। इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण ने जिला कलक्टर बाडमेर के समक्ष प्रथम अपील पेश की। विद्धान जिला कलक्टर बाडमेर ने दोनों पक्षों की सुनवाई के पश्चात अपने निर्णय दिनांक 30.12.1995 के द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील खारिज कर दी। उपर्युक्त दोनों आदेशों से असंतुष्ट होकर अपीलान्टगण ने द्वितीय अपील माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत की, जो क्रमांक 54/1996 पर दर्ज की गई तथा दिनांक 23.02.1998 को निर्णित करते हुए विद्धान जिला कलक्टर बाडमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.1995 एवं तहसीलदार बाडमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.04.1994 को निरस्त कर प्रकरण इस न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि विवादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में कब्जे काश्त की जांच रिपोर्ट रेकर्ड पर लेने के पश्चात उभय पक्षों को सुनवाई का समूचित अवसर देते हुए नामान्तकरण दर्ज करने सम्बन्धी नये सिरे से पुनः आदेश पारित करें।

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। तहसीलदार बाडमेर द्वारा तैयार मौके की रिपोर्ट को अभिलेख पर लिया गया। उभय पक्षों द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई तथा मौखिक बहस भी सुनी गई।

वकील अपीलकर्ता का कथन है कि मौजा सारणू भीमजी तहसील बाडमेर के खातेदार कृषक बलवन्तसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति राजपूत सा. देह के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 287, 10, 11 तथा 360 रकबा क्रमशः 63.19 बीघा, 266.06 बीघा, 184.16 बीघा तथा 109.02 बीघा, खसरा संख्या 82 रकबा 284.03 बीघा कुल रकबा 910.11 बीघा वक्त पैमाईश दर्ज हुए। खसारा संख्या 287 रकबा 63.19 बीघा बाबत् गांव की तरफ से दर्ज होने के बाद श्रीमान् आरआरओ के समक्ष गोचर होने के सम्बन्ध में उजरदारी पेश हुई, जिस पर श्री आरआरओ द्वारा प्रकरण संख्या 465/56 दर्ज कर बाद जांच दिनांक 13.12.1956 को खातेदार बलवन्तसिंह को खातेदारी समाप्त कर गोचर दर्ज कर दी। शेष खाता यथावत रखा। गोचर दर्ज करने का इन्द्राज विशेष विवरण कॉलम में दर्ज है। तत्पश्चात खातेदार बलवन्तसिंह के खेत खसरा संख्या 10 रकबा 266.06 बीघा का बेचान व खसरा संख्या 11 का रकबा 75.16 बीघा का बेचान भी भैरा पुत्र धीरा, जेठा पुत्र खरथा तथा गोमा पुत्र देदा जाति जाट सा. देह को किया गया। खसरा संख्या 360 रकबा 109.02 बीघा हरचन्द को बेचान की गई। खसरा संख्या 11 का बाद बेचान रकबा 109.00 बीघा खातेदार बलवन्तसिंह के नाम जमाबन्दी सवंत 2030 से 2033 में दर्ज रहा। वर्ष 1975–1976 में खातेदार बलवन्तसिंह लाऔलाद फौत हो गया और उसका भाई कनकसिंह अकेला वारिस होने से नामान्तकरण संख्या 133 के खातेदार के रूप में दर्ज किया गया। खातेदार कनकसिंह पुत्र रघुनाथसिंह राजस्थान छोडकर गाजियाबाद चले जाने के कारण और समय पर काश्त की सही देखभाल नही किये जाने के कारण उन्होने अपने रिश्तेदार रघुनाथसिंह डबोई व स्वरूपसिंह एडवोकेट बाडमेर को अपना खास मुख्तियार खेत की निगरानी व बेचान हेतु नियुक्त किया, जिन्होने कनकसिंह की स्वीकृति से 02 अलग–अलग बेचान श्री भगवानसिंह पुत्र खंगारसिंह व भीखसिंह पुत्र खंगारसिंह को खसरा संख्या 11 रकबा 109.00 बीघा का दिनांक 07.11.1986 को पंजीयन करवा कर मौका पर कब्जा सुपुर्द किया। बेचान दिनांक 07.11.1986 की प्रतियों के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तकरण खोलकर सरपंच ग्राम पंचायत सरणू भीमजी के समक्ष पेश किया जिसे सरपंच द्वारा खारिज किया गया, जिसकी अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की, जो क्रमांक 20/1987 पर दर्ज की गई तथा दिनांक 28.09.1988 को अपील स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत का आदेश खारिज कर तहसीलदार बाडमेर को पुनः निर्णय हेतु रिमाण्ड की गई। तहसीलदार बाडमेर द्वारा बाद जांच पुनः नामान्तकरण खारिज किया गया, जिसकी अपील श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय के समक्ष पेश की गई, जिसे क्रमांक 84/1994 पर दर्ज कर बाद सुनवाई खारिज की गई, जिसके विरूद्ध माननीय संभागीय आयुक्त जोधपुर के समक्ष प्रस्तुत अपील दिनांक 23.02.1998 को स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालयों के आदेश खारिज कर प्रकरण इस न्यायालय को रिमाण्ड किया

उप खण्ड अधिकारी
बाड़मेर

गया। इस न्यायालय में रिमाण्ड आदेश दिनांक 23.02.1998 के काफी समय पश्चात वर्ष 2004 में अपील प्रकरण दर्ज कर मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, जो गलत आने के कारण अपीलान्ट के एतराज पर सुनवाई में चल रही थी। इसी बीच ग्राम वासियों द्वारा एक राजस्व वाद प्रस्तुत किया गया जो क्रमांक 1369/2015 पर दर्ज किया गया तथा उसमे मौका रिपोर्ट मंगवाई गई, जिसकी प्रति पत्रावली पर मौजुद है जिसमे अपीलान्ट का कब्जा काश्त है। खेत के चारों तरफ तारबन्दी की हुई है, मकान बना हुआ है तथा गांव के मौजीज लोगों के आगृह पर रास्ता छोडा जा चुका है। पूर्व खातेदार कनकसिंह के गुजरात चले जाने के बाद खेत के पड़ौसी खातेदारों की नीयत में फर्क आ गया और खातेदार कनकसिंह का जो लाटा स्थान था, उस पर पाल बनाकर नाडी का स्वरूप दिया गया और शेष मजार बताई जा रही है, वह सब बनावटी है। अपीलान्टगण द्वारा अपीलान्ट में वर्णित भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान क्रय की है, जिस पर अपीलान्ट का कब्जा काश्त है। रजिस्टर्ड बेचान मौजूद है। उक्त रजिस्टर्ड बेचान के आधार पर अपीलान्टगण अपनी क्रयसुदा भूमि को राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वकील उतरदाता संख्या 02 ग्राम पंचायत की और से लिखित एवं मौखिक बहस करते हुए निवेदन किया कि अपील में वर्णित भूमि गैर कृषि उपयोग में आ रही है। पिछले 60 वर्षो से अधिक समय से उक्त भूमि का उपयोग सार्वजनिक कुआ, कब्रिस्तान, गोचर, नाडी आदि के उपयोग में आ रही है, जो मौका रिपोर्ट से भी स्पष्ट है। बलवन्तसिंह के लाऔलाद फौत होने से उक्त भूमि उसके भाई कनकसिंह पुत्र रघुवीरसिंह जाति रजापूत निवासी दुदवा हाल गाजीयाबाद के नाम से खातेदारी में दर्ज हुई। कनकसिंह द्वारा उक्त भूमि जनता के उपभोग के लिए छोड दी, जिस पर आम जनता का कब्जा है। कनकसिंह द्वारा जमीन गांव के लिए छोडने के पश्चात भगवानसिंह पुत्र खंगारसिंह एवं भीखसिंह पुत्र खंगारसिंह जाति राजपूत निवासी दवा ने फर्जी दस्तावेज (खास मुख्तियारनामा) जमीन हडपने के लिए तैयार कर जमीन अपने नाम फर्जी बेचान करवा दिया, लेकिन उक्त भूमि पर उनका आज दिन तक कोई कब्जा नही रहा है, इस प्रकार उक्त भूमि सार्वजनिक उपयोग में आ रही है। लिहाजा अपील खारिज योग्य है।

उभय पक्षों की बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलान्टगण द्वारा उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड बेचान क्रय की गई है। तहसीलदार बाडमेर से जो मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमे कुछ भू-भाग पर नाडी, आम रास्ता, आगोर है, परन्तु राजस्व अभिलेख में उक्त भूमि खातेदारी में दर्ज है। अपीलकर्ता इस हेतु सक्षम न्यायालय में अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकता है। अपीलाधीन अधिकतम भूमि पर अपीलकर्तागण का कब्जा दर्शाया गया है तथा उसमे उनके एक पड़वा पक्की ईटों का तथा कच्चा छपरा बने हुए दर्शाये गये है। वकील उतरदातागण का यह कथन मानने योग्य नही है कि फर्जी खास मुख्तियारनामा के आधार पर जमीन को हडपने की नीयत

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

से रजिस्टर्ड बेचान करवाया गया। विक्रय पत्र प्रभाव में है, जिसे किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया गया है तथा मौके पर अधिकांश भू–भाग पर अपीलान्टगण का कब्जा काश्त है। अपीलाधीन आराजी अपीलान्टगण के कब्जे में है।

अतः अपील, अपीलान्टगण स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 17 निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार बाडमेर को निर्देश दिये जाते है कि मौजा मूढणों की ढाणी के खसरा संख्या 373/11 रकबा 109.00 बीघा किस्म बा.सो. का नामान्तकरण अपीलकर्तागण के नाम दर्ज कर पालना सुनिश्चित करें।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाड़मेर

(रोहित चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर

आदेश आज दिनांक 27-8-21 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO), बाड़मेर